अनुसूची 3
[विनियम 5(1)(iii) देखें]

अनिवासी सामान्य/साधारण रुपया खाता योजना (NRO Account)

1 पात्रता

(ए) भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों व विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न करते हुए रुपये में वास्तविक लेनदेन करने के प्रयोजनार्थ किसी प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक के पास अनिवासी साधारण रुपया खाता खोल सकता है।

(बी) इन खातों में होने वाले परिचालनों के फलस्वरूप खाताधारक द्वारा भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को रुपये में प्रतिपूर्ति अथवा किसी अन्य तरीके से विदेशी करेन्सी उपलब्ध कराने की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए।

(सी) खाता खोलने के समय खाताधारक को चाहिए कि वह उस प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक को, जिसके पास खाता रखा गया है, इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करे कि भारत में निवेश के प्रयोजनार्थ खाते में डाली गयी नामे राशियों और निवेशों की बिक्री आय से खाते में जमा की गयी राशियों के मामलों में वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निवेश / विनिवेश रिज़र्व बैंक द्वारा इस बारे में निर्मित विनियमनों के अनुसार होंगे।

टिप्पणियां :

ए. पाकिस्तान की राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों / स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है।

बी. बांग्लादेश के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है।

सी. बांग्लादेश की राष्ट्रीयता वाले किसी व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा खाते खोलने की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक दे सकता है बशर्ते वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा व्यक्ति वैध वीज़ा और संबन्धित विदेशी पंजीकरण कार्यालय (FRO)/ विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा जारी वैध निवास पत्र का धारक है।

डी. भारत स्थित डाक घर भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के नाम बचत बैंक खाते रख सकते हैं और इन खातों में उन्हीं शर्तों के अधीन परिचालनों की अनुमति दे सकते हैं जो प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक के पास रखे अनिवासी साधारण खातों (एनआरओ) पर लागू होती हैं।

2. खातों के प्रकार

अनिवासी साधारण रुपया खातों को चालू, बचत, आवर्ती अथवा सावधि जमा खातों के रूप में खोला/रखा जा सकता है। रिज़र्व बैंक द्वारा निवासी खातों के संबंध में जारी निदेशों में उल्लिखित अपेक्षाएं अनिवासी साधारण रुपया खातों पर भी लागू होंगीं।

3. अनुमेय जमा / नामे

(ए) जमा

(i) बैंकिंग चैनल से भारत के बाहर से किसी भी अनुमत करेन्सी में प्राप्त विप्रेषणों अथवा खाताधारक द्वारा भारत में अपने अस्थायी दौरे के दौरान प्रस्तुत किसी भी अनुमत करेन्सी अथवा अनिवासी बैंकों के रुपया खातों से अंतरित राशि।

(ii) खाताधारक की भारत में प्राप्य वैध राशियां।

(iii) अन्य एनआरओ खातों से अंतरण।

(iv) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों अथवा विनियमों के अनुसार खातेधारक द्वारा प्राप्त कोई राशि ।

(बी) नामे

(i) रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये संबन्धित विनियमों के अनुपालन के अधीन निवेशों के लिए भुगतानों सहित, रुपये में सभी स्थानीय भुगतान।

(ii) भारत में खाताधारक की वर्तमान आय में से लागू करों को घटाकर भारत से बाहर निवल राशि का विप्रेषण।

(iii) अन्य एनआरओ खातों में अंतरण।

(iv) भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा अनिवासी भारतीयों अथवा भारतीय मूल के व्यक्तियों(PIOs) को जारी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों पर प्रभारों का भुगतान, बशर्ते विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2016 के विनियम 4(2) में विनिर्दिष्ट अनिवासी साधारण(सामान्य) खातेगत जमाराशियों के प्रत्यावर्तन के लिए विनिर्दिष्ट सीमा में हो।

4. अनिवासी साधारण रुपया खाते में रखी निधियों का विप्रेषण

अनिवासी साधारण रुपया खातों में धारित शेष राशियां रिज़र्व बैंक के सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमोदन के बिना भारत से बाहर विप्रेषित करने के लिए पात्र नहीं हैं। विदेशी मुद्रा में विप्रेषणों के जरिए भारत के बाहर से प्राप्त उन निधियों पर ही भारत के बाहर विप्रेषण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा जिनकी विप्रेषणयोग्य निधियों के रूप में पहचान बरकरार हो। जहां भारत के दौरे पर आए किसी विदेशी पर्यटक द्वारा किसी निर्दिष्ट तरीके से भारत के बाहर से विप्रेषित निधियों अथवा उसके द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा की बिक्री कर के (चालू / बचत) खाता खोला जाता है, वहां प्राधिकृत व्यापारी भारत से पर्यटक की वापसी के समय उसके खाते में धारित शेष राशि को खाताधारक को भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा में रुपांतरित कर सकता है बशर्ते उक्त खाते को छह महीने से अनधिक अवधि के लिए रखा गया हो और खाते पर उपचित ब्याज के अतिरिक्त उसमें कोई अन्य स्थानीय निधि जमा न की गयी हो।

5. ऋण/ ओवरड्राफट प्रदान करना

ए. खाताधारकों को

(i) पुनः उधार देने अथवा कृषि/बागवानी के कार्यों के प्रयोजन अथवा स्थावर-संपदा(रियल इस्टेट) के कारोबार में निवेश करने के प्रयोजन को छोड़कर अनिवासी खाताधारक को अन्य वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए अथवा कारोबारी गतिविधियों के लिए, निवासी खातों पर सामान्यतः लागू मानदंडों के अधीन, सावधि जमाराशियों की जमानत पर रुपये में ऋण स्वीकृत किये जा सकते हैं।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी / बैंक अपने वाणिज्यिक निर्णय और ब्याज-दर आदि संबंधी निर्देशों के अनुपालन की शर्त के अधीन खाताधारक को उक्त खाते से ओवरड्राफट की अनुमति दे सकता है।

बी. तीसरे पक्ष को

भारत में निवासी व्यक्तियों / फर्मों / कंपनियों को अनिवासी साधारण रुपया खाते में रखी जमाराशियों की जमानत पर ऋण / ओवरड्राफट निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिये जा सकते हैं:

(i) ऋणों का उपयोग, कृषि / बागवानी के कार्यों अथवा स्थावर-संपदा के कारोबार के लिए अथवा पुनः उधार देने के प्रयोजन को छोडकर, केवल खाताधारक की वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने और/ अथवा कारोबार के लिए किया जाएगा।

(ii) रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित मर्जिन और ब्याज-दर से संबंधित विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) व्यापार / उद्योग को प्रदत्त अग्रिमों के मामले में यथा लागू सामान्य मानदंड व ध्यान देने योग्य बातें ऐसे ऋणों / सुविधाओं के लिए भी लागू होंगी।

6. उधारकर्ता की निवासी की हैसियत में परिवर्तन होने पर ऋणों / ओवरड्राफटों का निरूपण/के प्रति बरताव

उस व्यक्ति के मामले में, जिसने भारत में रहते समय ऋण अथवा ओवरड्रफट सुविधाओं का लाभ उठाया था और जो बाद में भारत से बाहर का निवासी बन जाता है, प्राधिकृत व्यापारी अपने विवेक और वणिज्यिक निर्णय के अंतर्गत ऋण/ओवरड्राफट सुविधाओं को जारी रखने की अनुमति प्रदान कर सकता है। ऐसे मामलों में, ब्याज का भुगतान और ऋण की चुकौती आवक विप्रेषण अथवा संबंधित व्यक्ति के भारत में उपलब्ध वैध संसाधनों में से की जा सकती है।

7. संयुक्त खाते

ये खाते प्रथम अथवा उत्तरजीवी के आधार पर निवासियों के साथ संयुक्त रूप में रखे जा सकते हैं।
अनिवासी भारतीय और/अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) अन्य अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) के साथ संयुक्त रूप में एनआरओ खाता रख सकते हैं।

8. मुख्तारनामे द्वारा परिचालन

प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक एनआरओ खाते का परिचालन मुख्तारनामे की शर्तों के तहत करने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते ऐसे परिचालन (i) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्मित संबन्धित विनियमों के अनुपालन के अधीन पात्र निवेशों के भुगतान सहित रुपये में सभी स्थानीय भुगतान; और (ii) लागू करों को घटाकर, अनिवासी व्यक्ति खाताधारक की भारत में वर्तमान आय को भारत से बाहर विप्रेषण तक सीमित होंगे। निवासी मुख्तारनामा धारक किसी भी परिस्थिति में इस खाते में धारित राशि को स्वयं अनिवासी खाताधारक के सिवाय भारत से बाहर प्रत्यावर्तित अथवा अनिवासी खाताधारक की ओर से किसी निवासी को उपहार के जरिये भुगतान अथवा किसी अन्य एनआरओ खाते में निधियां अंतरित नहीं करेगा।

समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा में और लागू करों के अनुपालन की शर्त के अधीन भारत से बाहर विप्रेषण किए जा सकते हैं।

9. खाताधारक की निवासीय की हैसियत में परिवर्तन

(ए) निवासी से अनिवासी

भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति जब अनिश्चित अवधि के लिए भारत से बाहर रहने का उल्लेख करते हुए किसी भी देश में (नेपाल और भूटान को छोड़कर) नौकरी करने अथवा कारोबार करने अथवा व्यवसाय के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए जाता है, तब उसके वर्तमान खाते को अनिवासी (साधारण) खाते के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

(बी) अनिवासी से निवासी

खाताधारक द्वारा अनिश्चित अवधि के लिए भारत में रहने की इच्छा व्यक्त करते हुए नौकरी करने अथवा कारोबार करने अथवा व्यवसाय या अन्य किसी प्रयोजन के लिए भारत में वापसी पर अनिवासी (साधारण) खातों को निवासी रुपया खातों के रूप में नामित किया जा सकता है। जब खाताधारक भारत में केवल अस्थायी दौरे पर होता है, तब ऐसे दौरे के दौरान खाते को अनिवासी खाते के रूप में मानते रहना चाहिए।

10. अनिवासी नामिती को निधियों का भुगतान

मृत खाताधारक के खाते में से अनिवासी नामिती को देय राशि भारत में प्राधिकृत व्यापारी / बैंक के पास रखे नामिती के अनिवासी सामान्य रुपया खाते में जमा की जाएगी।

11. लेनदेनों की रिपोर्टिंग

(i) उक्त खाते से किया गया ऐसा लेनदेन, जिसके संबंध में यदि यह प्रतीत हो कि वह प्राधिकृत व्यापारी से इतर भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा के बदले रुपये में की गयी प्रतिपूर्ति है, साथ ही ऐसा लेनदेन जो संदिग्ध स्वरूप का हो, रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

(ii) इन खातों में किये गये लेनदेनों को रिज़र्व बैंक को उसके द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक द्वारा बांग्लादेश की राष्ट्रिकता वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के खोले गए खातों को प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक द्वारा उसके प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट किया जाएगा और ऐसे प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा संदर्भित व्यक्ति(यों) के नाम, पासपोर्ट नंबर, जारीकर्ता देश/स्टेट, एफ़आरओ/एफ़आरआरओ के नाम, आवासीय अनुमति जारी करने की तारीख और

उसकी वैधता अवधि के ब्योरों को अंतर्विष्ट करने वाली तिमाही रिपोर्ट गृह मंत्रालय (विदेश प्रभाग) को तिमाही आधार पर अग्रसारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण: "तिमाही आधार" का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष मार्च / जून / सितंबर और दिसंबर को समाप्त तिमाही से है ।